


विविध बैंक प्रकरण संख्या 124/2022(GCMS : 2022/175) भारतीय स्टेट बैंक, जरिये प्राधिकृत अधिकारी री प्रसेनजीत घोष, मुख्य/शाखा प्रबन्धक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री तुलच्छा राम निवासी वार्ड नं. 08, नजदीक पंचायत समिति, सादुलशहर श्रीगंगानगर (राज.)



19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी महावीर प्रसाद को ऋण सुविधा के रूप में 9.30/- लाख रुपये (अखरे रुपये नौ लाख तीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 16.05.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महावीर प्रसाद की रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 08 (क्षेत्रफल 42' गुणा 65'9" वर्गफुट) सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 24.03.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 07.04.2022 को 12,32,877/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 07.04.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.04.2022 को भिजवाये गये  नोटिस प्राप्ति की ऑनलाईन ट्रेक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को नोटिस प्राप्ति हो गया है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 08 (क्षेत्रफल 42' गुणा 65'9" वर्गफुट) सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी महावीर प्रसाद को 09.30/-लाख रुपये (अखरे रुपये नौ लाख तीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 16.05.2019 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महावीर प्रसाद की रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 08 (क्षेत्रफल 42' गुणा 65'9" वर्गफुट) सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 24.03.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 07.04.2022 को जारी किये गये हैं तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.04.2022 को भिजवाये गये हैं, जिसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के आनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामिल हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामिल ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद द्वारा अपनी रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 08 (क्षेत्रफल 42' गुणा 65'9" वर्गफुट) सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.04.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.04.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.04.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी महावीर प्रसाद के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद की रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 08 (क्षेत्रफल 42' गुणा 65'9" वर्गफुट) सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर